



महाराष्ट्र शासन  
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय  
जुने जकात घर, २रा मजला, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई ४०० ०२३

क्रमांक : इएसटी -११२२/ पदभरती २०२२/ ३२/ २-अ-३

राज्य उत्पादन शुल्क विभागामधील राज्यातील विविध कार्यालयातील लघुलेखक (निम्नश्रेणी), लघुटंकलेखक, जवान, जवान-नि-वाहनचालक व चपराशी या संवर्गातील पदभरती करिता ऑनलाईन पध्दतीने केंद्रीयरित्या अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

२. उपलब्ध भरावयाची पदसंख्या :-

२-अ- राज्यस्तरीय संवर्गातील पदे

| अ.क्र. | पदनाम                                 | उपलब्ध एकूण भरावयाची पदसंख्या |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------|
| १      | लघुलेखक (निम्नश्रेणी)                 | ५                             |
| २      | लघुटंकलेखक                            | १८                            |
| ३      | जवान, राज्य उत्पादन शुल्क             | ५६८                           |
| ४      | जवान-नि-वाहनचालक, राज्य उत्पादन शुल्क | ७३                            |

२-ब- जिल्हास्तरीय संवर्गातील पदे

| अ.क्र. | पदनाम  | उपलब्ध एकूण भरावयाची पदसंख्या |
|--------|--------|-------------------------------|
| १      | चपराशी | ५३                            |

परीक्षेचा कालावधी दि.५ जानेवारी, २०२४ ते दि.१७ जानेवारी, २०२४ या दरम्यान असेल. तथापि परीक्षेचा दिनांक/कालावधी यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार अबाधित ठेवण्यात येत आहे.

३. भरावयाच्या पदांचा सामाजिक / समांतर आरक्षणाबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

३ (अ) १ :- लघुलेखक (निम्नश्रेणी) :-

| अ. क्र. | प्रवर्ग                   | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |       |          |            |        |      |              |                |                             |
|---------|---------------------------|-------------------|---------------|-------|----------|------------|--------|------|--------------|----------------|-----------------------------|
|         |                           |                   | सर्व साधारण   | महिला | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू | अनाथ | भूकंप ग्रस्त | प्रकल्प ग्रस्त | पदवीधर/ पदविकाधारक अंशकालीन |
| १       | अनुसूचित जाती             | १                 | १             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०            | ०              | ०                           |
| २       | वि. जा. (अ)               | १                 | १             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०            | ०              | ०                           |
| ३       | इतर मागास प्रवर्ग         | १                 | १             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०            | ०              | ०                           |
| ४       | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक | १                 | १             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०            | ०              | ०                           |
| ५       | अराखीव                    | १                 | १             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०            | ०              | ०                           |
| एकूण    |                           | ५                 | ५             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०            | ०              | ०                           |

३ (अ)२ :- लघुटंकलेखक :-

| अ. क्र.   | प्रवर्ग                   | भरावयाची पदसंख्या                             | समांतर आरक्षण |       |            |        |      |              |                | पदवीधर/ पदविका धारक अंशकालीन |
|---|---------------------------|---|---------------|-------|------------|--------|------|--------------|----------------|------------------------------|
|   |                           |   | सर्व साधारण   | महिला | माजी सैनिक | खेळाडू | अनाथ | भूकंप ग्रस्त | प्रकल्प ग्रस्त |                              |
| १   | अनुसूचित जाती             | २   | १             | १     | ०          | ०      | ०    | ०            | ०              | ०                            |
| २   | अनुसूचित जमाती            | १   | १             | ०     | ०          | ०      | ०    | ०            | ०              | ०                            |
| ३   | वि. जा. (अ)               | १   | १             | ०     | ०          | ०      | ०    | ०            | ०              | ०                            |
| ४   | भ. ज. (ब)                 | १   | १             | ०     | ०          | ०      | ०    | ०            | ०              | ०                            |
| ५   | भ. ज. (क)                 | १   | १             | ०     | ०          | ०      | ०    | ०            | ०              | ०                            |
| ६   | इतर मागास प्रवर्ग         | ३   | २             | १     | ०          | ०      | ०    | ०            | ०              | ०                            |
| ७   | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक | २   | १             | १     | ०          | ०      | ०    | ०            | ०              | ०                            |
| ८   | अराखीव                    | ७   | ३             | २     | १          | ०      | ०    | ०            | ०              | १                            |
| एकूण  |                           | १८  | ११            | ५     | १          | ०      | ०    | ०            | ०              | १                            |
| एकूण भरावयाची पदे   |                           | दिव्यांग आरक्षण एकूण भरावयाच्या पदाच्या ( ४%) |               |       |            |        |      |              |                |                              |
| १८  |                           | १   |               |       |            |        |      |              |                |                              |
| टिप — दिव्यांग आरक्षणामधून एकूण १ पद भरावयाचे आहे. गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या उमेदवाराचा समावेश तो ज्या प्रवर्गातील आहे त्या प्रवर्गात करण्यात येईल. |                           |   |               |       |            |        |      |              |                |                              |

३ (अ) ३ जवान, राज्य उत्पादन शुल्क :-

| राज्यस्तरीय जवान रिक्त पदाची माहिती |                           |                   |               |       |            |        |              |                |                             |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|-------|------------|--------|--------------|----------------|-----------------------------|
| अ. क्र.                             | प्रवर्ग                   | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |       |            |        |              |                | पदवीधर/ पदविकाधारक अंशकालीन |
|                                     |                           |                   | सर्व साधारण   | महिला | माजी सैनिक | खेळाडू | भूकंप ग्रस्त | प्रकल्प ग्रस्त |                             |
| १                                   | अनुसूचित जाती             | ८१                | २७            | २४    | १२         | ४      | २            | ४              | ८                           |
| २                                   | अनुसूचित जमाती            | ३                 | २             | १     | ०          | ०      | ०            | ०              | ०                           |
| ३                                   | वि. जा. (अ)               | १४                | ५             | ४     | २          | १      | ०            | १              | १                           |
| ४                                   | भ. ज. (ब)                 | १९                | ६             | ६     | ३          | १      | ०            | १              | २                           |
| ५                                   | भ. ज. (क)                 | २५                | ८             | ८     | ४          | १      | १            | १              | २                           |
| ६                                   | भ. ज. (ड)                 | १३                | ४             | ४     | २          | १      | ०            | १              | १                           |
| ७                                   | इतर मागास प्रवर्ग         | १२३               | ४२            | ३७    | १८         | ६      | २            | ६              | १२                          |
| ८                                   | विशेष मागास प्रवर्ग       | ८                 | ४             | २     | १          | ०      | ०            | ०              | १                           |
| ९                                   | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक | ५७                | १८            | १७    | ९          | ३      | १            | ३              | ६                           |

|  |        |   |     |     |    |    |    |    |    |
|--|--------|---|-----|-----|----|----|----|----|----|
| १०   | अराखीव | २२५                                       | ७३  | ६८  | ३४ | ११ | ५  | ११ | २३ |
| एकूण   |        | ५६८                                       | १८९ | १७१ | ८५ | २८ | ११ | २८ | ५६ |
| एकूण भरावयाची पदे  |        | अनाथ आरक्षण एकूण भरावयाच्या पदाच्या ( १%) |     |     |    |    |    |    |    |
| ५६८  |        | ६   |     |     |    |    |    |    |    |
| टीप - अनाथ आरक्षणामधून एकूण ६ पदे भरावयाची आहेत. गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या उमेदवारांचा समावेश तो ज्या प्रवर्गातील आहे त्या प्रवर्गात करण्यात येईल. |        |   |     |     |    |    |    |    |    |

३(अ) ४ जवान-नि-वाहनचालक, राज्य उत्पादन शुल्क :-

| अ. क्र.  | प्रवर्ग                   | भरावयाची पदसंख्या                         | समांतर आरक्षण |       |            |        |             |               |                            |
|--|---------------------------|---|---------------|-------|------------|--------|-------------|---------------|----------------------------|
|  |                           |   | सर्व साधारण   | महिला | माजी सैनिक | खेळाडू | भुकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त | पदवीधर/पदविकाधारक अंशकालीन |
| १  | अनुसूचित जाती             | ८   | ४             | २     | १          | ०      | ०           | ०             | १                          |
| २  | भ. ज. (ब)                 | ४   | २             | १     | १          | ०      | ०           | ०             | ०                          |
| ३  | भ. ज. (क)                 | ४   | २             | १     | १          | ०      | ०           | ०             | ०                          |
| ४  | भ. ज. (ड)                 | ५   | २             | १     | १          | ०      | ०           | ०             | १                          |
| ५  | इतर मागास प्रवर्ग         | ३०  | ९             | ९     | ४          | २      | १           | २             | ३                          |
| ६  | विशेष मागास प्रवर्ग       | ३   | १             | १     | १          | ०      | ०           | ०             | ०                          |
| ७  | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक | ७   | ३             | २     | १          | ०      | ०           | ०             | १                          |
| ८  | अराखीव                    | १२  | ४             | ३     | २          | १      | ०           | १             | १                          |
| एकूण   |                           | ७३  | २७            | २०    | १२         | ३      | १           | ३             | ७                          |
| एकूण भरावयाची पदे  |                           | अनाथ आरक्षण एकूण भरावयाच्या पदाच्या ( १%) |               |       |            |        |             |               |                            |
| ७३   |                           | १   |               |       |            |        |             |               |                            |
| टीप - अनाथ आरक्षणामधून एकूण १ पद भरावयाचे आहे. गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या उमेदवारांचा समावेश तो ज्या प्रवर्गातील आहे त्या प्रवर्गात करण्यात येईल. |                           |   |               |       |            |        |             |               |                            |

३ (ब) :- जिल्हास्तरावर भरावयाच्या पदांचा सामाजिक / समांतर आरक्षणाबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

१) चपराशी :-

| आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय |                |                   |               |       |          |            |        |      |             |               |                            |
|--|----------------|-------------------|---------------|-------|----------|------------|--------|------|-------------|---------------|----------------------------|
| अ. क्र.  | प्रवर्ग        | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |       |          |            |        |      |             |               | पदवीधर/पदविकाधारक अंशकालीन |
|  |                |                   | सर्व साधारण   | महिला | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू | अनाथ | भूकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                            |
| १  | अनुसूचित जमाती | १                 | १             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०           | ०             | ०                          |

|             |                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| २           | वि. जा. (अ)               | १        | १        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        |
| ३           | भ. ज. (क)                 | १        | १        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        |
| ४           | इतर मागास प्रवर्ग         | ३        | २        | १        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        |
| ५           | विशेष मागास प्रवर्ग       | १        | १        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        |
| ६           | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक | १        | १        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        |
| <b>एकूण</b> |                           | <b>८</b> | <b>७</b> | <b>१</b> | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b> |

| अधीक्षक, राउशु., नागपूर |                |                   |               |          |          |            |          |          |             |               |                             |
|-------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|
| अ. क्र.                 | प्रवर्ग        | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |          |          |            |          |          | इतर         |               | पदवीधर/पदविका धारक अंशकालीन |
|                         |                |                   | सर्व साधारण   | महिला    | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू   | अनाथ     | भूकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                             |
| १                       | अनुसूचित जमाती | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| २                       | वि. जा. (अ)    | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| ३                       | अराखीव         | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| <b>एकूण</b>             |                | <b>३</b>          | <b>३</b>      | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>   | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>    | <b>०</b>      | <b>०</b>                    |

| अधीक्षक, राउशु., भंडारा |               |                   |               |          |          |            |          |          |             |               |                             |
|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|
| अ. क्र.                 | प्रवर्ग       | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |          |          |            |          |          | इतर         |               | पदवीधर/पदविका धारक अंशकालीन |
|                         |               |                   | सर्व साधारण   | महिला    | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू   | अनाथ     | भूकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                             |
| १                       | अनुसूचित जाती | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| <b>एकूण</b>             |               | <b>१</b>          | <b>१</b>      | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>   | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>    | <b>०</b>      | <b>०</b>                    |

| अधीक्षक, राउशु., गोंदिया |                |                   |               |          |          |            |          |          |             |               |                             |
|--------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|
| अ. क्र.                  | प्रवर्ग        | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |          |          |            |          |          | इतर         |               | पदवीधर/पदविका धारक अंशकालीन |
|                          |                |                   | सर्व साधारण   | महिला    | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू   | अनाथ     | भूकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                             |
| १                        | अनुसूचित जमाती | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| <b>एकूण</b>              |                | <b>१</b>          | <b>१</b>      | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>   | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>    | <b>०</b>      | <b>०</b>                    |

| अधीक्षक, राउशु., अमरावती |                |                   |               |          |          |            |          |          |             |               |                             |
|--------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|
| अ. क्र.                  | प्रवर्ग        | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |          |          |            |          |          | इतर         |               | पदवीधर/पदविका धारक अंशकालीन |
|                          |                |                   | सर्व साधारण   | महिला    | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू   | अनाथ     | भूकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                             |
| १                        | अनुसूचित जमाती | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| २                        | अराखीव         | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| <b>एकूण</b>              |                | <b>२</b>          | <b>२</b>      | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>   | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>    | <b>०</b>      | <b>०</b>                    |

| अधीक्षक, राउशु., वाशिम |                |                   |               |       |          |            |        |      |             |               |                             |
|------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------|----------|------------|--------|------|-------------|---------------|-----------------------------|
| अ. क्र.                | प्रवर्ग        | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |       |          |            |        |      |             |               | पदवीधर/पदविका धारक अंशकालीन |
|                        |                |                   | सर्व साधारण   | महिला | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू | अनाथ | भूकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                             |
| १                      | अनुसूचित जमाती | १                 | १             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०           | ०             | ०                           |
| २                      | अराखीव         | १                 | १             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०           | ०             | ०                           |
| एकूण                   |                | २                 | २             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०           | ०             | ०                           |

| अधीक्षक, राउशु., यवतमाळ |             |                   |               |       |          |            |        |      |             |               |                             |
|-------------------------|-------------|-------------------|---------------|-------|----------|------------|--------|------|-------------|---------------|-----------------------------|
| अ. क्र.                 | प्रवर्ग     | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |       |          |            |        |      |             |               | पदवीधर/पदविका धारक अंशकालीन |
|                         |             |                   | सर्व साधारण   | महिला | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू | अनाथ | भूकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                             |
| १                       | वि. जा. (अ) | १                 | १             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०           | ०             | ०                           |
| २                       | अराखीव      | १                 | १             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०           | ०             | ०                           |
| एकूण                    |             | २                 | २             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०           | ०             | ०                           |

| अधीक्षक, राउशु., बुलढाणा |                |                   |               |       |          |            |        |      |             |               |                             |
|--------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------|----------|------------|--------|------|-------------|---------------|-----------------------------|
| अ. क्र.                  | प्रवर्ग        | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |       |          |            |        |      |             |               | पदवीधर/पदविका धारक अंशकालीन |
|                          |                |                   | सर्व साधारण   | महिला | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू | अनाथ | भूकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                             |
| १                        | अनुसूचित जमाती | १                 | १             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०           | ०             | ०                           |
| एकूण                     |                | १                 | १             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०           | ०             | ०                           |

| अधीक्षक, राउशु., नांदेड |               |                   |               |       |          |            |        |      |             |               |                             |
|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------|----------|------------|--------|------|-------------|---------------|-----------------------------|
| अ. क्र.                 | प्रवर्ग       | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |       |          |            |        |      |             |               | पदवीधर/पदविका धारक अंशकालीन |
|                         |               |                   | सर्व साधारण   | महिला | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू | अनाथ | भूकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                             |
| १                       | अनुसूचित जाती | १                 | १             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०           | ०             | ०                           |
| २                       | अराखीव        | १                 | १             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०           | ०             | ०                           |
| एकूण                    |               | २                 | २             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०           | ०             | ०                           |

| अधीक्षक, राउशु., हिंगोली |         |                   |               |       |          |            |        |      |             |               |                             |
|--------------------------|---------|-------------------|---------------|-------|----------|------------|--------|------|-------------|---------------|-----------------------------|
| अ. क्र.                  | प्रवर्ग | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |       |          |            |        |      |             |               | पदवीधर/पदविका धारक अंशकालीन |
|                          |         |                   | सर्व साधारण   | महिला | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू | अनाथ | भूकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                             |
| १                        | अराखीव  | १                 | १             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०           | ०             | ०                           |
| एकूण                     |         | १                 | १             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०           | ०             | ०                           |

| अधीक्षक, राउशु., छत्रपती संभाजीनगर |                   |                   |               |          |          |            |          |          |             |               |                             |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|
| अ. क्र.                            | प्रवर्ग           | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |          |          |            |          |          |             |               | पदवीधर/पदविका धारक अंशकालीन |
|                                    |                   |                   | सर्व साधारण   | महिला    | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू   | अनाथ     | भुकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                             |
| १                                  | वि. जा. (अ)       | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| २                                  | इतर मागास प्रवर्ग | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| <b>एकूण</b>                        |                   | <b>२</b>          | <b>२</b>      | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>   | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>    | <b>०</b>      | <b>०</b>                    |

| अधीक्षक, राउशु., बीड |                |                   |               |          |          |            |          |          |             |               |                             |
|----------------------|----------------|-------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|
| अ. क्र.              | प्रवर्ग        | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |          |          |            |          |          |             |               | पदवीधर/पदविका धारक अंशकालीन |
|                      |                |                   | सर्व साधारण   | महिला    | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू   | अनाथ     | भुकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                             |
| १                    | अनुसूचित जमाती | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| <b>एकूण</b>          |                | <b>१</b>          | <b>१</b>      | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>   | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>    | <b>०</b>      | <b>०</b>                    |

| अधीक्षक, राउशु., धाराशिव |                |                   |               |          |          |            |          |          |             |               |                             |
|--------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|
| अ. क्र.                  | प्रवर्ग        | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |          |          |            |          |          |             |               | पदवीधर/पदविका धारक अंशकालीन |
|                          |                |                   | सर्व साधारण   | महिला    | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू   | अनाथ     | भुकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                             |
| १                        | अनुसूचित जमाती | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| <b>एकूण</b>              |                | <b>१</b>          | <b>१</b>      | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>   | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>    | <b>०</b>      | <b>०</b>                    |

| अधीक्षक, राउशु., नाशिक |                   |                   |               |          |          |            |          |          |             |               |                             |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|
| अ. क्र.                | प्रवर्ग           | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |          |          |            |          |          |             |               | पदवीधर/पदविका धारक अंशकालीन |
|                        |                   |                   | सर्व साधारण   | महिला    | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू   | अनाथ     | भुकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                             |
| १                      | अनुसूचित जाती     | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| २                      | अनुसूचित जमाती    | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| ३                      | वि. जा. (अ)       | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| ४                      | इतर मागास प्रवर्ग | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| <b>एकूण</b>            |                   | <b>४</b>          | <b>४</b>      | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>   | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>    | <b>०</b>      | <b>०</b>                    |

| अधीक्षक, राउशु., जळगाव |               |                   |               |          |          |            |          |          |             |               |                             |
|------------------------|---------------|-------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|
| अ. क्र.                | प्रवर्ग       | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |          |          |            |          |          |             |               | पदवीधर/पदविका धारक अंशकालीन |
|                        |               |                   | सर्व साधारण   | महिला    | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू   | अनाथ     | भुकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                             |
| १                      | अनुसूचित जाती | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| <b>एकूण</b>            |               | <b>१</b>          | <b>१</b>      | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>   | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>    | <b>०</b>      | <b>०</b>                    |

| अधीक्षक, राउशु., धुळे |               |                   |               |          |          |            |          |          |             |               |                             |
|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|
| अ. क्र.               | प्रवर्ग       | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |          |          |            |          |          |             |               | पदवीधर/पदविका धारक अंशकालीन |
|                       |               |                   | सर्व साधारण   | महिला    | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू   | अनाथ     | भुकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                             |
| १                     | अनुसूचित जाती | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| <b>एकूण</b>           |               | <b>१</b>          | <b>१</b>      | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>   | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>    | <b>०</b>      | <b>०</b>                    |

| अधीक्षक, राउशु., कोल्हापूर |                           |                   |               |          |          |            |          |          |             |               |                             |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|
| अ. क्र.                    | प्रवर्ग                   | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |          |          |            |          |          |             |               | पदवीधर/पदविका धारक अंशकालीन |
|                            |                           |                   | सर्व साधारण   | महिला    | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू   | अनाथ     | भुकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                             |
| १                          | अनुसूचित जमाती            | १                 | ०             | १        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| २                          | वि. जा. (अ)               | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| ३                          | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक | १                 | ०             | १        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| <b>एकूण</b>                |                           | <b>३</b>          | <b>१</b>      | <b>२</b> | <b>०</b> | <b>०</b>   | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>    | <b>०</b>      | <b>०</b>                    |

| अधीक्षक, राउशु., सांगली |                |                   |               |          |          |            |          |          |             |               |                             |
|-------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|
| अ. क्र.                 | प्रवर्ग        | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |          |          |            |          |          |             |               | पदवीधर/पदविका धारक अंशकालीन |
|                         |                |                   | सर्व साधारण   | महिला    | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू   | अनाथ     | भुकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                             |
| १                       | अनुसूचित जमाती | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| २                       | वि. जा. (अ)    | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| <b>एकूण</b>             |                | <b>२</b>          | <b>२</b>      | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>   | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>    | <b>०</b>      | <b>०</b>                    |

| अधीक्षक, राउशु., सातारा |                   |                   |               |          |          |            |          |          |             |               |                             |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|
| अ. क्र.                 | प्रवर्ग           | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |          |          |            |          |          |             |               | पदवीधर/पदविका धारक अंशकालीन |
|                         |                   |                   | सर्व साधारण   | महिला    | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू   | अनाथ     | भुकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                             |
| १                       | अनुसूचित जमाती    | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| २                       | इतर मागास प्रवर्ग | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                           |
| <b>एकूण</b>             |                   | <b>२</b>          | <b>२</b>      | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>   | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>    | <b>०</b>      | <b>०</b>                    |

| अधीक्षक, राउशु., सिंधुदुर्ग |               |                   |               |       |          |            |        |      |             |               |                             |
|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------|----------|------------|--------|------|-------------|---------------|-----------------------------|
| अ. क्र.                     | प्रवर्ग       | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |       |          |            |        |      |             |               | पदवीधर/पदविका धारक अंशकालीन |
|                             |               |                   | सर्व साधारण   | महिला | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू | अनाथ | भुकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                             |
| १                           | अनुसूचित जाती | १                 | १             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०           | ०             | ०                           |

|             |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| २           | अराखीव | १        | १        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        |
| <b>एकूण</b> |        | <b>२</b> | <b>२</b> | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b> |

| अधीक्षक, राउशु., रत्नागिरी |               |                   |               |          |          |            |          |          |             |               |                              |
|----------------------------|---------------|-------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|---------------|------------------------------|
| अ. क्र.                    | प्रवर्ग       | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |          |          |            |          |          |             |               | पदवीधर/ पदविका धारक अंशकालीन |
|                            |               |                   | सर्व साधारण   | महिला    | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू   | अनाथ     | भुकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                              |
| १                          | अनुसूचित जाती | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                            |
| २                          | वि. जा. (अ)   | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                            |
| <b>एकूण</b>                |               | <b>२</b>          | <b>२</b>      | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>   | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>    | <b>०</b>      | <b>०</b>                     |

| अधीक्षक, राउशु., मुंबई उपनगर |                   |                   |               |          |          |            |          |          |             |               |                              |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|---------------|------------------------------|
| अ. क्र.                      | प्रवर्ग           | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |          |          |            |          |          |             |               | पदवीधर/ पदविका धारक अंशकालीन |
|                              |                   |                   | सर्व साधारण   | महिला    | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू   | अनाथ     | भुकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                              |
| १                            | इतर मागास प्रवर्ग | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                            |
| २                            | अराखीव            | २                 | १             | १        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                            |
| <b>एकूण</b>                  |                   | <b>३</b>          | <b>२</b>      | <b>१</b> | <b>०</b> | <b>०</b>   | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>    | <b>०</b>      | <b>०</b>                     |

| अधीक्षक, राउशु., मुंबई शहर |               |                   |               |          |          |            |          |          |             |               |                              |
|----------------------------|---------------|-------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|---------------|------------------------------|
| अ. क्र.                    | प्रवर्ग       | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |          |          |            |          |          |             |               | पदवीधर/ पदविका धारक अंशकालीन |
|                            |               |                   | सर्व साधारण   | महिला    | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू   | अनाथ     | भुकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                              |
| १                          | अनुसूचित जाती | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                            |
| २                          | वि. जा. (अ)   | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                            |
| <b>एकूण</b>                |               | <b>२</b>          | <b>२</b>      | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>   | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>    | <b>०</b>      | <b>०</b>                     |

| अधीक्षक, राउशु., ठाणे |             |                   |               |          |          |            |          |          |             |               |                              |
|-----------------------|-------------|-------------------|---------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|---------------|------------------------------|
| अ. क्र.               | प्रवर्ग     | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |          |          |            |          |          |             |               | पदवीधर/ पदविका धारक अंशकालीन |
|                       |             |                   | सर्व साधारण   | महिला    | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू   | अनाथ     | भुकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त |                              |
| १                     | वि. जा. (अ) | १                 | १             | ०        | ०        | ०          | ०        | ०        | ०           | ०             | ०                            |
| <b>एकूण</b>           |             | <b>१</b>          | <b>१</b>      | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>   | <b>०</b> | <b>०</b> | <b>०</b>    | <b>०</b>      | <b>०</b>                     |



| अधीक्षक, राउशु., परभणी   |                           |                   |               |       |          |            |        |      |             |               |                             |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|-------|----------|------------|--------|------|-------------|---------------|-----------------------------|
| अ. क्र.                  | प्रवर्ग                   | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |       |          |            |        |      |             |               |                             |
|                          |                           |                   | सर्व साधारण   | महिला | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू | अनाथ | भूकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त | पदवीधर/पदविका धारक अंशकालीन |
| १                        | अराखीव                    | १                 | १             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०           | ०             | ०                           |
| एकूण                     |                           | १                 | १             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०           | ०             | ०                           |
| अधीक्षक, राउशु, गडचिरोली |                           |                   |               |       |          |            |        |      |             |               |                             |
| अ. क्र.                  | प्रवर्ग                   | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |       |          |            |        |      |             |               |                             |
|                          |                           |                   | सर्व साधारण   | महिला | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू | अनाथ | भूकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त | पदवीधर/पदविका धारक अंशकालीन |
| १                        | अराखीव                    | १                 | १             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०           | ०             | ०                           |
| एकूण                     |                           | १                 | १             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०           | ०             | ०                           |
| अधीक्षक, राउशु., अहमदनगर |                           |                   |               |       |          |            |        |      |             |               |                             |
| अ. क्र.                  | प्रवर्ग                   | भरावयाची पदसंख्या | समांतर आरक्षण |       |          |            |        |      |             |               |                             |
|                          |                           |                   | सर्व साधारण   | महिला | दिव्यांग | माजी सैनिक | खेळाडू | अनाथ | भूकंपग्रस्त | प्रकल्पग्रस्त | पदवीधर/पदविका धारक अंशकालीन |
| १                        | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक | १                 | १             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०           | ०             | ०                           |
| एकूण                     |                           | १                 | १             | ०     | ०        | ०          | ०      | ०    | ०           | ०             | ०                           |

टिप :-

- १) प्रशासकीय कारणास्तव वर नमुद विविध संवर्गातील भरावयाच्या पदसंख्येत व आरक्षणांमध्ये बदल होवून त्यात वाढ अथवा घट होण्याची शक्यता आहे.
- २) स्पर्धात्मक परीक्षा स्थगित करणे, रद्द करणे, अंशतः बदल करणे, पदांच्या एकूण संख्येत बदल करण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात येत आहे.
- ३) विविध न्यायालयीन याचिका/प्रकरणांच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून भरावयाची पदसंख्या व त्यानुसार सामाजिक व समांतर आरक्षणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार वेळोवेळी सुधारणा केल्या जातील.
- ४) नियुक्तीनंतर प्रशासकीय कारणास्तव जिल्ह्यातील संबंधित संवर्गातील पदसंख्येत बदल झाल्यास, निवड झालेल्या/प्रतिक्षासूचीमधील उमेदवारांची अन्य जिल्ह्यात समायोजन/ बदली करण्यात येईल.

४. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता करणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

५. भरावयाची पदसंख्या व आरक्षणासंदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी :-

५.१ भरावयाची पदसंख्या व आरक्षणांमध्ये बदल झाल्यास याबाबतची माहिती/ बदल वेळोवेळी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल व त्यानुसार भरती प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्यात येईल.

५.२ विविध मागासप्रवर्ग, महिला, प्राविण्यप्राप्त खेळाडू, अनाथ इत्यादीसाठी सामाजिक व समांतर आरक्षण शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार राहिल.

५.३ विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क) व भटक्या जमाती (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित पदासाठी संबंधित प्रवर्गासाठी योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्यावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गातील उमेदवारांचा विचार गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात येईल.

५.४ अर्ज करताना एखादी जात/ जमात राज्य शासनाकडून आरक्षणासाठी पात्र असल्याचे घोषित केली असल्यासच तसेच त्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रदान केलेले प्रमाणपत्र उमेदवाराकडे उपलब्ध असेल तर संबंधित जात/ जमातीचे उमेदवार त्या आरक्षणाच्या दाव्यासाठी पात्र असतील.

५.५ समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही १०१२/ प्र.क्र.१६/ १२/ १६-अ, दि.१३ ऑगस्ट, २०१४ तसेच शासन शुद्धीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकीर्ण -१११८/ प्र.क्र.३९/ १६-अ, दि.१९ डिसेंबर, २०१८ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.

५.६ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील (ईडब्ल्यूएस) उमेदवारांकरिता शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक राआधो- ४०१९/ प्र.क्र.३१/ १६- अ, दि.१२.०२.२०१९ व दि.३१.०५.२०२१ अन्वये विहित करण्यात आलेले प्रमाणपत्र ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरतेवेळी सादर करणे आवश्यक राहिल. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांच्या ग्राह्यता कालावधी शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक राआधो- २०२३/ प्र.क्र.४०/ १६-अ, दि.२३.०३.२०२३ नुसार समजण्यात येईल.

५.७ शासन शुद्धीपत्रक, इतर समाज बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक संकीर्ण -२०२३/ प्र.क्र.७६/ मावक, दि.१७.०२.२०२३ तसेच दि.१३.०३.२०२३ अन्वये शासनाकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, संबंधित उमेदवार उन्नत व प्रगत व्यक्ती/ गटात मोडत नसल्याबाबतची पडताळणी करण्यासाठी कालावधी विचारात घेण्यात येईल.

५.८ अद्यावत नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र / आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असल्याबाबतचा पुरावा म्हणून सक्षम प्राधिकाऱ्याने वितरीत केलेले व अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास वैध असणारे (वित्तीय वर्ष २०२२- २३) प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.महिआ २०२३/ प्र.क्र. १२३/ कार्या-२, दि.०४ मे, २०२३ अन्वये खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरिता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीकरीता, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे.

५.९ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता, अन्य मागासवर्गातील महिलांकरिता आरक्षित पदावरील निवडीसाठी दावा करू इच्छिणाऱ्या महिलांना संबंधित मागासप्रवर्गासाठी इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेळोवेळी विहित करण्यात आल्याप्रमाणे नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतच्या तरतुदी लागू राहतील.

५.१० सेवा प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी शासनाने मागास म्हणून मान्यता दिलेल्या समाजाच्या वयोमर्यादेमध्ये सवलत घेतलेल्या उमेदवारांचा अराखीव (खुला) पदावरील निवडीकरीता विचार करणेबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.

५.११ अराखीव (खुला) उमेदवारांकरिता विहित केलेली वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषासंदर्भात अटीची पूर्तता करणाऱ्या सर्व उमेदवारांचा (मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावरील निवडीकरीता विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित / उपलब्ध नसले तरी, अर्जांमध्ये त्यांच्या मूळ प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमुद करणे बंधनकारक आहे.

५.१२ कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा लाभ हा केवळ महाराष्ट्राचे सर्वसाधारण रहिवासी असणाऱ्या उमेदवारांना अनुज्ञेय आहे. "सर्वसाधारण रहिवासी" या संज्ञेला भारतीय लोकप्रतिनिधत्व कायदा १९५० चा कलम २० अनुसार जो अर्थ आहे तोच अर्थ असेल.

५.१३ कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा (सामाजिक अथवा समांतर) अथवा सोयी सवलतीचा दावा करणाऱ्या उमेदवाराकडे संबंधित कायदा/ नियम / आदेशानुसार विहित नमुन्यातील प्रस्तुत जाहिरातीस अनुसरून अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या दिनांकापूर्वीचे योग्य त्या प्राधिकरणाचे वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध असणे अनिवार्य आहे.

५.१४ सामाजिक व समांतर आरक्षणासंदर्भात विविध न्यायालयामध्ये दाखल न्यायप्रविष्ट प्रकरणी अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदभरतीची ही कार्यवाही करण्यात येईल.

## ५.१५ खेळाडू आरक्षण :-

५.१५.१ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक राक्रिधो -२००२/ प्र.क्र.६८/ क्रियुसे-२, दि.०१.०७.२०१६ तसेच शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक क्र. राक्रिधो -२००२/ प्र.क्र.६८/ क्रियुसे-२, दि.१८.०८.२०१६, शुध्दीपत्रक शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक संकीर्ण १७१६/ प्र.क्र.१८/ क्रियुसे-२, दि.३०.०६.२०२२ आणि तद्नंतर शासनाने वेळोवेळी यासंदर्भात निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणासंदर्भात तसेच वयोमर्यादेतील सवलतीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.

५.१५.२ प्राविण्य प्राप्त खेळाडू व्यक्तींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांच्या बाबतीत क्रिडा विषयक विहीत अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले पात्र खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचे किंवा तत्पूर्वीचे असणे बंधनकारक आहे.

५.१५.३ विहीत दिनांकास खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य दर्जाचे असल्याबाबत तसेच उमेदवार खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, या विषयाच्या पडताळणीकरीता त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र संबंधित विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकापूर्वी सादर केलेले असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा प्राविण्य प्राप्त खेळाडूसाठी पात्र समजण्यात येणार नाही.

५.१५.४ सक्षम क्रिडा प्राधिकरणाने निर्गमित केलेले क्रिडा प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यास अथवा सदर प्राधिकरणाकडे क्रिडा प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी केलेल्या अर्जाची पोचपावती सादर केली नसल्यास अर्ज नाकारण्यात येईल.

५.१५.५ कागदपत्रे पडताळणीच्यावेळी खेळाडू उमेदवारांनी विहीत अर्हता धारण करित असल्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र तसेच त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत तसेच खेळाडू, कोणत्या संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीसाठी पात्र ठरतो, याविषयीचा सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रदान केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल सादर केला तरच उमेदवारांचा संबंधित संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावर निवडीकरीता विचार करण्यात येईल.

५.१५.६ एकापेक्षा जास्त खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे असणाऱ्या खेळाडू उमेदवाराने एकाच वेळेस सर्व खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे प्रमाणित करण्याकरीता संबंधित उपसंचालक क्रीडा, यांच्या कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.

## ५.१६ दिव्यांग आरक्षण :-

५.१६.१ दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या आधारे शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. दिव्यांग २०१८/ प्र.क्र. ११४/ १६अ, दि.२९ मे, २०१९ तसेच शासन निर्णय गृह विभाग, क्र. एमआयएस -१०२०/ प्र.क्र. ११७/ राउशु-१, दि.१८ फेब्रुवारी, २०२१ तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या आरक्षणासंदर्भात त्या त्या संवर्गात कार्यवाही करण्यात येईल. शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. एमआयएस -१०२०/ प्र.क्र. ११७/ राउशु-१, दि.२९ जुलै, २०२१ अन्वये जवान,राज्य उत्पादन शुल्क व जवान-नि-वाहनचालक, राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गांचे पद दिव्यांग पद सुनिश्चिततून वगळण्यात आले आहे.

५.१६.२ दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैकी असतील.

५.१६.३ दिव्यांग व्यक्तीची संबंधित संवर्ग / पदाकरीता पात्रता शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहिल.

५.१६.४ दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित पदांवर निवड करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता दिव्यांग गुणवत्ता क्रमांकानुसार त्यांची निवड करण्यात येईल.

५.१६.५ संबंधित दिव्यांगत्वाच्या प्रकारचे किमान ४०% दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र धारक उमेदवार/ व्यक्ती आरक्षण तसेच नियमानुसार अनुज्ञेय सोयी/ सवलतीसाठी पात्र असतील.

५.१६.६ दिव्यांगत्व असलेले उमेदवार/ व्यक्ती खालील सवलतींच्या दाव्यास पात्र असतील :-

दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तसेच पद संबंधित दिव्यांग प्रकारासाठी सुनिश्चित केले असल्यास नियमानुसार अनुज्ञेय सोयी सवलती

५.१६.७ दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेल्या वयोमर्यादेचा अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक अप्रकि- २०१८ / प्र.क्र.४६/ आरोग्य-६, दि.१४ सप्टेंबर, २०१८ मधील आदेशानुसार केंद्र शासनाच्या [www.swaylambancard.gov.in](http://www.swaylambancard.gov.in) अथवा SADM या संगणकीय प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.

#### ५.१६.८ दिव्यांग उमेदवार :- लेखनिक व अनुग्रह कालावधीबाबत

१) लक्षणीय दिव्यांगात्व असलेल्या उमेदवारांना परीक्षेच्या वेळी लेखनिक व इतर सोयी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक : दिव्यांग २००१९/ प्र.क्र.२००/ दि.क्र.२, दि.०५ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये जारी करण्यात आलेल्या - लक्षणीय व (Benchmark) दिव्यांग व्यक्तींच्याबाबत लेखी परीक्षा घेण्याबाबतची मार्गदर्शिका -२०२१ तसेच तद्नंतर शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.

२) लेखनिकाची व्यवस्था उमेदवारांना स्वतः करावी लागणार आहे.

३) अर्जांमध्ये मागणी केली नसल्यास ऐनवेळी लेखनिकाची मदत घेता येणार नाही अथवा अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय असणार नाही.

#### ५.१७ अनाथ आरक्षण :-

५.१७.१ अनाथ व्यक्तींचे आरक्षण शासन निर्णय, महिला व बालविकास विभाग, क्रमांक अनाथ -२०२२/ प्र.क्र.१२२/ का-०३, दि.०६ एप्रिल २०२३, दि.१० मे, २०२३ नुसार शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार राहिल.

५.१७.२ अनाथांसाठी आरक्षित पदावर गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या उमेदवारांचा समावेश उमेदवार ज्या सामाजिक प्रवर्गाचा आहे, त्या प्रवर्गात करण्यात येईल.

५.१७.३ प्रस्तुत पदासाठी अर्जाद्वारे अनाथ आरक्षणाचा दावा केलेल्या उमेदवारांनी दिनांक ०६.०९.२०२२, दि.०६.०४.२०२३ आणि दि. १०.०५.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे विहित करण्यात आलेल्या कार्यपध्दतीनुसार सुधारित नमुन्यातील अनाथ प्रमाणपत्र व महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र निश्चित करण्यात येणाऱ्या विहित कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहिल. अन्यथा अनाथ आरक्षणाचा दावा विचारात घेतला जाणार नाही.

#### ५.१८ माजी सैनिकांकरिता आरक्षण :-

५.१८.१ उमेदवार स्वतः माजी सैनिक असल्यास त्याने त्याबाबत स्पष्टपणे दावा करणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यास माजी सैनिकांना अनुज्ञेय असलेले लाभ मिळणार नाहीत.

५.१८.२ माजी सैनिकांकरिता आरक्षणासंदर्भातील तरतुदी शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार असतील. तसेच माजी सैनिकांच्या व्याख्या केंद्र व राज्य शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या विविध शासन निर्णय, आदेश, अधिसूचना, परिपत्रके इत्यादींनुसार राहिल.

#### ५.१८.३ आवश्यक प्रमाणपत्र :-

१) सैनिकी सेवेतून मुक्त केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र :-

माजी सैनिकांसाठी असलेल्या वयोमर्यादा व आरक्षणाचा फायदा घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी विहित नमुन्यात सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रदान केलेले प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

२) जात प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र :-

उमेदवार ज्या सामाजिक प्रवर्गामध्ये समाविष्ट असेल, त्या प्रवर्गासंबंधीचे जात प्रमाणपत्र तसेच वैध नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) सादर करणे आवश्यक आहे.

#### ५.१९ प्रकल्पग्रस्तांसाठीचे आरक्षण :-

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : एईएम-१०८०/३५/१६-अ, दि.२० जानेवारी, १९८० तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी नमूद करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार प्रकल्पग्रस्तांसाठीचे आरक्षण राहिल.

#### ५.२० भूकंपग्रस्तांसाठीचे आरक्षण :-

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : भूकंप-१००९/ प्र.क्र.२०७/ २००९/ १६-अ, दि.२७.१०.२००९ तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी नमूद करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार भूकंपग्रस्तांसाठीचे आरक्षण राहिल.

५.२१ पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी यांच्याकरिता आरक्षण :-

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : पअंक-१००९/ प्र.क्र.२००/ २००९ तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी नमूद करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार आरक्षण लागू राहिल.

६. वेतनश्रेणी :-

| अ.क्र. | पदाचे नाव              | वेतन मॅट्रीक्समधील वेतनस्तर                                    |
|--------|------------------------|--|
| १      | लघुलेखक (निम्न श्रेणी) | S-१५ : ४१८००-१३२३०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते |
| २      | लघुटंकलेखक             | S-८ : २५५००-८११०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते   |
| ३      | जवान                   | S-७ : २१७००-६९१०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते   |
| ४      | जवान-नि-वाहनचालक       | S-७ : २१७००-६९१०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते   |
| ५      | चपराशी                 | S-१ : १५०००-४७६०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते   |

७. पात्रता :-

७.१ भारतीय नागरिकत्व.

७.२ वयोमर्यादा :-

| अ. क्र. | संवर्ग                 | वय   |             |   |                                 |   |                          |   |                    |                                       |                                      |      |
|---------|------------------------|--|-------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|
|         |                        | किमान अमागास / मागासवर्गीय / आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक | कमाल अमागास | मागासवर्गीय / आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक | प्राविण्य प्राप्त खेळाडू अमागास | मागासवर्गीय / आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक | माजी सैनिक अमागास        | मागासवर्गीय / आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक | दिव्यांग ग उमेदवार | पदवीधर / पदविका धारक अंशकालीन उमेदवार | भूकंपग्रस्त / प्रकल्प ग्रस्त उमेदवार | अनाथ |
| १       | २                      | ३  | ४           | ५                                       | ६                               | ७                                       | ८                        | ९                                       | १०                 | ११                                    | १२                                   | १३   |
| १       | लघुलेखक (निम्न श्रेणी) | १८   | ४०          | ४५                                      | ४३                              | ४३                                      | ३८+सेवा कालावधी+ ३ वर्षे | ४३+सेवा कालावधी +३ वर्षे                | ४५                 | ५५                                    | ४५                                   | ४५   |
| २       | लघुटंकलेखक             | १८   | ४०          | ४५                                      | ४३                              | ४३                                      | ३८+सेवा कालावधी+ ३ वर्षे | ४३+सेवा कालावधी +३ वर्षे                | ४५                 | ५५                                    | ४५                                   | ४५   |
| ३       | जवान                   | १८   | ४०          | ४५                                      | ४३                              | ४३                                      | ३८+सेवा कालावधी+ ३ वर्षे | ४३+सेवा कालावधी +३ वर्षे                | लागू नाही          | ५५                                    | ४५                                   | ४५   |
| ४       | जवान-नि-वाहनचालक       | १८   | ४०          | ४५                                      | ४३                              | ४३                                      | ३८+सेवा कालावधी+ ३ वर्षे | ४३+सेवा कालावधी +३ वर्षे                | लागू नाही          | ५५                                    | ४५                                   | ४५   |
| ५       | चपराशी                 | १८   | ४०          | ४५                                      | ४३                              | ४३                                      | ३८+सेवा कालावधी+ ३ वर्षे | ४३+सेवा कालावधी +३ वर्षे                | ४५                 | ५५                                    | ४५                                   | ४५   |

(टिप :- स्तंभ १० मध्ये वयाच्या अटीमध्ये "लागू नाही" असे नमूद असलेल्या संवर्गास दिव्यांग आरक्षण लागू नाही.)

७.२.१ महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील कर्मचारी, मागासवर्गीय उमेदवार, दिव्यांग आणि खेळाडू यांना असलेली वयोमर्यादेतील शिथिलतेची सवलत यापैकी कोणतेही अधिकतम असलेली एकच सवलत देय राहिल.

७.२.२ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एसआर व्ही २०१५/ प्र.क्र. ४०४ / का-१२, दि.२५.०४.२०१६ तसेच शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक सनिव २०२३ / प्र.क्र. १४/ कार्या१२, दि.०३ मार्च, २०२३ नुसार शासन सेवेत सरळसेवेने नियुक्तीसाठीच्या कमाल वयोमर्यादेत दि. ३१ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत शिथिलता देण्यात आलेली आहे.

७.२.३ लघुलेखक (निम्नश्रेणी), लघुटंकलेखक, जवान, जवान-नि-वाहनचालक आणि चपराशी या पदाकरिता दि.३०.०५.२०२३ रोजीच्या जाहिरातीमध्ये दि.१३.०६.२०२३ पर्यंत अर्ज स्विकारण्याची अंतिम मुदत दिली होती. त्यामुळे दि.१७.११.२०२३ रोजी प्रसिध्द होणाऱ्या जाहिरातीला अनुसरून अर्ज भरणाऱ्या उमेदवारांची किमान वयोमर्यादा दि.३०.०४.२०२३ रोजी १८ वर्षे पूर्ण असावी तर अशा

उमेदवारांची महत्तम वयोमर्यादेची मुदत ही दि.३०.०४.२०२३ ची असेल. या सर्व पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना जाहिरातीमधील सर्व अटी व शर्ती बंधनकारक असतील याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.

## ८ शैक्षणिक अर्हता:-

### ८.१ शैक्षणिक अर्हता :-

| अ.क्र. | पदाचे नाव                             | शैक्षणिक अर्हता  |
|--------|---------------------------------------|--|
| १      | लघुलेखक (निम्न श्रेणी)                | १) माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण,<br>२) लघुलेखनाची गती १०० शब्द प्रति मिनीट,<br>३) मराठी टंकलेखनाची गती ३० शब्द प्रति मिनीट किंवा इंग्रजी टंकलेखनाची गती ४० शब्द प्रति मिनीट इतक्या गतीचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र आवश्यक |
| २      | लघुटंकलेखक                            | १) माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण,<br>२) लघुलेखनाची गती ८० शब्द प्रति मिनीट,<br>३) मराठी टंकलेखनाची गती ३० शब्द प्रति मिनीट किंवा इंग्रजी टंकलेखनाची गती ४० शब्द प्रति मिनीट इतक्या गतीचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र आवश्यक  |
| ३      | जवान, राज्य उत्पादन शुल्क             | माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण  |
| ४      | जवान-नि-वाहनचालक, राज्य उत्पादन शुल्क | १) इयत्ता ७ वी उत्तीर्ण<br>२) वाहन चालवण्याचा परवाना ( किमान हलके चारचाकी वाहन)  |
| ५      | चपराशी                                | माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण  |

### ८.१.१. शारिरीक पात्रता :-

जवान, राज्य उत्पादन शुल्क व जवान-नि-वाहनचालक, राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गातील पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी खालील शारिरीक पात्रता धारण करणे आवश्यक आहे.

|      | पुरुष उमेदवारांसाठी   | महिला उमेदवारांसाठी       |
|------|---|---------------------------|
| उंची | किमान १६५ से.मी. (अनवाणी)   | किमान १६० से.मी. (अनवाणी) |
| छाती | न फुगविता ७९ से.मी. (किमान) व फुगवून छातीतील किमान प्रसरण ५ से.मी. आवश्यक | लागू नाही                 |
| वजन  | लागू नाही   | ५० कि.ग्रॅ.               |

संबंधित संवर्गातील नियुक्तीकरीता शिफारस पात्र उमेदवारांची शारिरीक मोजमापे नियुक्ती करण्यापूर्वी विभागामार्फत सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून तपासून घेण्यात येतील. विहित शारिरीक पात्रता नसल्यास संबंधित उमेदवार नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल.

### ८.२ अर्हता/ पात्रता गणना करण्याचा दिनांक :-

८.२.१ प्रस्तुत जाहिरातीस अनुसरून अर्ज सादर करण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकास संबंधित शैक्षणिक अर्हता धारण करणे आवश्यक आहे.

८.२.२ शासकीय वाणिज्य परीक्षा मंडळाची विहित लघुलेखन / टंकलेखनअर्हता परीक्षेकरिता अर्ज/ माहिती सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत प्राप्त करणे आवश्यक आहे.

८.२.३ जवान-नि-वाहनचालक, राज्य उत्पादन शुल्क पदाकरिता हलके / जड चारचाकी मोटार वाहन चालविण्याचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव अर्ज सादर करण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत प्राप्त करणे आवश्यक आहे.

९. अभ्यासक्रम व परीक्षेचे स्वरूप :-

९.१. अभ्यासक्रम :-

| पदनाम                                 | विषय             | दर्जा                               | माध्यम          | प्रश्न संख्या | गुण        | कालावधी         | प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|------------------------|
| १. लघुलेखक (निम्नश्रेणी)              | बुद्धीमापन चाचणी | माध्यमिक शालांत दर्जा               | मराठी व इंग्रजी | ३०            | ३०         | १ तास ३० मिनीटे | वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी  |
| २. लघुटंकलेखक                         | सामान्य ज्ञान    |                                     |                 | ३०            | ३०         |                 |                        |
| ३. जवान, राज्य उत्पादन शुल्क          | मराठी            |                                     | मराठी           | ३०            | ३०         |                 |                        |
|                                       | इंग्रजी          |                                     | इंग्रजी         | ३०            | ३०         |                 |                        |
|                                       |                  |                                     | <b>एकूण</b>     | <b>१२०</b>    | <b>१२०</b> |                 |                        |
| जवान-नि-वाहनचालक, राज्य उत्पादन शुल्क | बुद्धीमापन चाचणी | सर्वसाधारण शैक्षणिक अर्हतेनुसार     | मराठी व इंग्रजी | ३०            | ३०         | १ तास ३० मिनीटे | वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी  |
|                                       | सामान्य ज्ञान    |                                     |                 | ३०            | ३०         |                 |                        |
|                                       | मराठी            |                                     | मराठी           | ३०            | ३०         |                 |                        |
|                                       | इंग्रजी          |                                     | इंग्रजी         | ३०            | ३०         |                 |                        |
|                                       |                  |                                     | <b>एकूण</b>     | <b>१२०</b>    | <b>१२०</b> |                 |                        |
| चपराशी                                | बुद्धीमापन चाचणी | सर्वसाधारणपणे माध्यमिक शालांत दर्जा | मराठी व इंग्रजी | ५०            | ५०         | २ तास           | वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी  |
|                                       | सामान्य ज्ञान    |                                     |                 | ५०            | ५०         |                 |                        |
|                                       | मराठी            |                                     | मराठी           | ५०            | ५०         |                 |                        |
|                                       | इंग्रजी          |                                     | इंग्रजी         | ५०            | ५०         |                 |                        |
|                                       |                  |                                     | <b>एकूण</b>     | <b>२००</b>    | <b>२००</b> |                 |                        |

उक्त नमुद विषयामध्ये खालील घटक/ उपघटकांचा समावेश असेल.

| अ.क्र. | विषय             | घटक व उपघटक  |
|--------|------------------|--|
| १      | बुद्धिमापन चाचणी | उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करू शकतो याचा अंदाज घेण्याच्या दृष्टीने सदर प्रश्न विचारण्यात येतील                              |
| २      | सामान्य ज्ञान    | महाराष्ट्राचा भूगोल, भारताचा भूगोल, आधुनिक भारताचा इतिहास – महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह, नागरीकशास्त्र, विज्ञान व चालू घडामोडी |
| ३      | मराठी            | सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी व वाक्यप्रचार यांचा अर्थ, वाक्यात उपयोग तसेच उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे       |
| ४.     | इंग्रजी          | Common vocabulary, Sentence structure, Grammar, Use of Idioms & Phrases and their meaning and Comprehension of passage             |

९.२. परीक्षेचे टप्पे :-

| अ.क्र. | पदनाम                                     | परीक्षेचे टप्पे   | गुण  |
|--------|---|---|--|
| १      | जवान, राज्य उत्पादन शुल्क                 | १. लेखी परीक्षा   | १२०  |
|        |   | २. शारिरीक चाचणी / मैदानी परीक्षा   | ८०   |
| २      | जवान-नि-वाहनचालक, राज्य उत्पादन शुल्क     | १. लेखी परीक्षा   | १२०  |
|        |   | २. शारिरीक चाचणी / मैदानी परीक्षा   | ८०   |
|        |   | विशेष प्राविण्य अर्हताकारी (Qualifying) चाचणी<br>१. हलके मोटार वाहन चालविणे<br>२. जड मोटार वाहन चालविणे | सदर चाचणी ही फक्त जवान-नि-वाहनचालक या पदाच्या उमेदवारांची घेण्यात येईल. (अर्हताकारी) |
| ३      | चपराशी                                    | १. लेखी परीक्षा   | २००  |
| ४      | १. लघुलेखक (निम्नश्रेणी)<br>२. लघुटंकलेखक | १. लेखी परीक्षा   | १२०  |
|        |   | २. लघुलेखन कौशल्य व्यावसायिक चाचणी  | ८०   |

**१.२.१ शारिरीक पात्रता पडताळणी व मैदानी चाचणी :-** जवान व जवान-नि-वाहनचालक या पदांच्या शारिरीक पात्रता निकष पूर्ण केलेल्या उमेदवारांची मैदानी चाचणी संबंधित जिल्हयाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी, जिल्हा निवड समितीमार्फत, खालीलप्रमाणे घेण्यात येईल.

| अ.क्र. | पुरुष उमेदवारांसाठी   |     | महिला उमेदवारांसाठी   |     |
|--------|-----------------------|-----|-----------------------|-----|
|        | मैदानी चाचणीचा प्रकार | गुण | मैदानी चाचणीचा प्रकार | गुण |
| १      | १.५ किमी धावणे        | ३०  | १ किमी धावणे          | ३०  |
| २      | १०० मी.धावणे          | ३०  | १०० मी.धावणे          | ३०  |
| ३      | गोळा फेक              | २०  | गोळा फेक              | २०  |
|        | एकूण                  | ८०  | एकूण                  | ८०  |

**१.३. लेखी परीक्षेकरीता नकारात्मक गुणदान :-**

- प्रत्येक चुकीच्या उत्तराकरिता २५% किंवा ¼ एवढे गुण एकूण गुणांमधून वजा/ कमी करण्यात येतील.
- वरीलप्रमाणे कार्यपध्दतीचा अवलंब करताना एकूण अंतिम गुणांची बेरीज अपूर्णाकात आली तरीही ती अपूर्णाकातच राहिल व पुढील कार्यवाही त्याच्याआधारे करण्यात येईल.
- एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर अनुत्तरीत असेल तर, अशा प्रकरणी नकारात्मक गुणांची पध्दत लागू असणार नाही.

**१०. निवडप्रक्रिया :-**

**१०.१.** लघुलेखक (निम्नश्रेणी) व लघुटंकलेखक या पदाकरिता अर्ज केलेले जे उमेदवार लेखी परीक्षेत किमान ४५% गुण मिळवून लेखी परीक्षा उत्तीर्ण होतील, त्यांच्यापैकी गुणवत्ता क्रमानुसार प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातीतील प्रवर्ग निहाय नमुद केलेल्या पद संख्येच्या १:१० या कमाल प्रमाणात प्रवर्ग निहाय उमेदवारास लघुलेखनाची कौशल्य चाचणीसाठी पात्र ठरविण्यात येईल.

**१०.२** लघुलेखक (निम्नश्रेणी) व लघुटंकलेखक, राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गातील पदांवर निवड करताना लेखी परीक्षा आणि लघुलेखन कौशल्य व्यावसायिक चाचणी पडताळणी नंतर मिळालेल्या गुणांची एकत्रित बेरीज करून गुणानुक्रमे निवड यादी अंतिम करण्यात येईल.

**१०.३** जवान, राज्य उत्पादन शुल्क व जवान-नि-वाहनचालक, राज्य उत्पादन शुल्क या पदांकरिता अर्ज केलेले जे उमेदवार लेखी परीक्षेत किमान ४५% गुण मिळवून लेखी परीक्षा उत्तीर्ण होतील, त्यांच्यापैकी गुणवत्ता क्रमानुसार प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातीतील प्रवर्ग निहाय नमुद केलेल्या पद संख्येच्या १:१० या कमाल प्रमाणात प्रवर्ग निहाय उमेदवारास शारिरीक पात्रता पडताळणी व शारिरीक चाचणीसाठी पात्र ठरविण्यात येईल.

**१०.४** जवान, राज्य उत्पादन शुल्क व जवान-नि-वाहनचालक, राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गातील पदांवर निवड करताना लेखी परीक्षा आणि शारिरीक पात्रता पडताळणी नंतर होणाऱ्या मैदानी चाचणीत मिळालेल्या गुणांची एकत्रित बेरीज करून गुणानुक्रमे निवड यादी अंतिम करण्यात येईल.

**१०.५** सेवा भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया खालील सेवा प्रवेश नियम अथवा तदनंतर शासनाकडून वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या सुधारण तसेच शासनाकडून सुधारण्यात येणाऱ्या कार्यनियमावलीतील तरतुदीनुसार राबविण्यात येईल :-

- १) “स्वीय सहायक-गट ब”, “उच्चश्रेणी लघुलेखक-गट ब”, “निम्नश्रेणी लघुलेखक-गट ब” आणि “लघुलेखक- गट क” पदांचे (सेवाप्रवेश) नियम, १९९७
- २) राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील निरीक्षक, दुय्यम निरीक्षक, पेटी ऑफिसर, जवान-नि-वाहनचालक आणि जवान पदांचे (सेवाप्रवेश) नियम, १९९२ व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे परिपत्रक क्रमांक इएसटी ११२२/ जवान भरती २०२२/ ३२/ २-अ-३, दि.२८ मार्च, २०२३.
- ३) महाराष्ट्र शासनाच्या विभागातील व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील गट “ड” पदांचे (सेवाप्रवेश) नियम, २०१७

**१०.६** अंतिम निवड यादी तयार करताना समान गुण धारण करणाऱ्या उमेदवारांची क्रमवारी (Ranking) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक प्रानिमं १२१६/ प्र.क्र.६५/ १६/ १३-अ, दि.१३.०६.२०१८ मधील अनुक्रमांक ११ मधील तरतुदीनुसार निश्चित करण्यात येईल.



१०.७ जवान, राज्य उत्पादन शुल्क, जवान-नि-वाहनचालक, राज्य उत्पादन शुल्क, लघुलेखक (निम्नश्रेणी) व लघुटंकलेखक हे राज्यस्तरीय संवर्ग आहेत. या संवर्गातील पदांची निवड ही राज्यस्तरीय प्रक्रिया असून निवड यादी देखील राज्यस्तरीय असेल म्हणजेच सदर पदांवर निवड झालेले उमेदवार संपुर्ण राज्यात नियुक्तीस पात्र असतील.

१०.७ चपराशी हे जिल्हास्तरीय संवर्ग आहे. त्यामुळे जरी सदर भरती प्रक्रिया राज्यस्तरावरून एकत्रितरित्या राबविली जात असली तरी सदर संवर्गाची निवड यादी तयार करताना त्या त्या जिल्ह्यात भरावयाच्या पदांचा विचार करून, प्रत्येक जिल्ह्याची स्वतंत्र निवड यादी तयार करण्यात येऊन त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याची स्वतंत्र निवड यादी जाहीर केली जाईल. उमेदवारास मिळालेले गुण त्याने अर्ज केलेल्या जिल्ह्याकरीताच विचारार्थ घेतले जातील व त्याचा अन्य जिल्ह्यातील निवड यादीशी कोणताही संबंध असणार नाही.

## ११. प्रतिक्षासूची :-

जाहिरातीत नमुद विविध संवर्गातील पदांची प्रतिक्षासूचीसह निवडसूची सर्व प्रकारच्या परीक्षा होऊन अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिध्द केल्याच्या तारखेपासून एक वर्ष कालावधीकरीता किंवा पुढील निवड प्रक्रियेची कार्यवाही सुरु होण्याचा दिनांक, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत विधीग्राह्य राहिल. तदनंतर सदर प्रतिक्षासूचीसह निवडसूची व्यपगत होईल. तथापि भरती प्रक्रियेदरम्यान महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने भरतीप्रक्रिया, निवडसूची, प्रतिक्षासूची इत्यादीच्या अनुषंगाने दिलेले निर्देश तथा सुचना किंवा सुधारणा यथास्थिती लागू राहतील.

## १२. अर्ज करण्याची पध्दत :-

### १२.१ अर्ज सादर करण्याचे टप्पे :-

१२.१.१ टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड(T.C.S.) च्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीवर नोंदणी करणे व खाते तयार करणे.

१२.१.२ खाते तयार केलेले असल्यास व ते अद्ययावत करण्याची आवश्यकता असल्यास अद्ययावत करणे.

१२.१.३ सेवाप्रवेश नियमानुसार पात्र असलेल्या पदांसाठीच अर्ज करणे.

१२.१.४ विहित कालावधीत तसेच विहित पध्दतीने आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सादर करणे.

१२.१.५ परीक्षा शुल्काचा भरणा विहित पध्दतीने करणे.

### १२.२ विहित प्रमाणपत्र / कागदपत्रे अपलोड करणे

१२.२.१ उमेदवाराने प्रोफाईलद्वारे केलेल्या विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने त्याची पात्रता अजमावल्यानंतर (After Checking eligibility) उमेदवार जाहिरातीनुसार पात्र ठरत असल्यास अर्ज सादर करताना खालील कागदपत्रे /प्रमाणपत्रे (लागू असलेली) अपलोड करावी. प्रोफाईलमधील विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने अपलोड करावयाची संबंधित कागदपत्रे प्रणालीद्वारे अर्ज सादर करताना प्रदर्शित होतील.

| अ.क्र. | प्रमाणपत्र/ कागदपत्र  | फाईल फॉर्मेट | किमान फाईल साईज (KB) | कमाल फाईल साईज (KB) |
|--------|---|--------------|----------------------|---------------------|
| १      | एस.एस.सी. अथवा तत्सम शैक्षणिक अर्हता  | PDF          | ५०                   | ५००                 |
| २      | वयाचा पुरावा – ओळखपत्र (मतदान ओळखपत्र, पॅनकार्ड, आधारकार्ड, वाहनचालक परवाना, पासपोर्ट इ. पैकी कोणतेही एक) | PDF          | ५०                   | ५००                 |
| ३      | शैक्षणिक अर्हता इत्यादीचा पुरावा  | PDF          | ५०                   | ५००                 |
| ४      | सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय असल्याबाबतचा पुरावा   | PDF          | ५०                   | ५००                 |
| ५      | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असल्याबाबतचा पुरावा   | PDF          | ५०                   | ५००                 |
| ६      | वैध नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र   | PDF          | ५०                   | ५००                 |
| ७      | पात्र दिव्यांग व्यक्ती असल्याचा पुरावा  | PDF          | ५०                   | ५००                 |
| ८      | पात्र माजी सैनिक असल्याचा पुरावा  | PDF          | ५०                   | ५००                 |
| ९      | खेळाडूसाठीच्या आरक्षणाकरिता पात्र असल्याचा पुरावा   | PDF          | ५०                   | ५००                 |
| १०     | अनाथ आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा  | PDF          | ५०                   | ५००                 |
| ११     | अराखीव महिला, खेळाडू, दिव्यांग, माजी सैनिक, अनाथ आरक्षणाचा दावा असल्यास अधिवास प्रमाणपत्र                 | PDF          | ५०                   | ५००                 |

|    |   |     |    |     |
|----|---|-----|----|-----|
| १२ | विवाहित स्त्रियांच्या नावात बदल झाल्याचा पुरावा                                 | PDF | ५० | ५०० |
| १३ | मराठी भाषेचे ज्ञान असल्याचा पुरावा  | PDF | ५० | ५०० |
| १४ | लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन  | PDF | ५० | ५०० |
| १५ | टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र (मराठी / इंग्रजी लागू असल्याप्रमाणे)                      | PDF | ५० | ५०० |
| १६ | लघुलेखनाचे प्रमाणपत्र (लागू असल्याप्रमाणे)                                      | PDF | ५० | ५०० |
| १७ | प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त आरक्षणाकरिता पात्र असल्याचा पुरावा                   | PDF | ५० | ५०० |
| १८ | एम.एस.सी.आय.टी प्रमाणपत्र   | PDF | ५० | ५०० |
| १९ | हलके मोटार वाहन चालविण्याचा तीन वर्षांचा अनुभव (केवळ जवान-नि-वाहनचालक पदाकरिता) | PDF | ५० | ५०० |

**टिप :** अर्ज सादर करताना कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे (लागू असलेली) अपलोड करताना फाईल साईज ऑनलाईन अर्जात नमुदप्रमाणे राहिल.

१२.२.२ पात्रतेसंदर्भातील विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्रे/ कागदपत्रे अपलोड केल्याशिवाय अर्ज सादर करता येणार नाही.

१२.३ सर्वसाधारण :-

(एक) अर्ज टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड(T.C.S.) च्या अर्ज प्रणालीद्वारे फक्त ऑनलाईन पध्दतीने स्वीकारण्यात येतील.

(दोन) अर्ज सादर करण्याकरिता ऑनलाईन लिंक विभागाच्या खालील नमुद संकेत स्थळावर उपलब्ध असेल :

<https://stateexcise.maharashtra.gov.in>

(तीन) ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सुचना टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड(T.C.S.) च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

(चार) अर्ज सादर केल्यानंतर विहित दराने, पध्दतीने आणि मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही.

१२.४ जिल्हा (परीक्षा) केंद्र निवड :-

(एक) अर्ज सादर करतानाच जिल्हा (परीक्षा) केंद्राची निवड करणे आवश्यक आहे.

(दोन) जिल्हा (परीक्षा) केंद्र बदलाबाबतची विनंती कोणत्याही परिस्थितीत अथवा कोणत्याही कारणास्तव मान्य करण्यात येणार नाही.

(तीन) एखादे जिल्हा केंद्र कार्यान्वित होऊ शकले नाही अथवा एखाद्या जिल्हा केंद्रावर उमेदवारांना प्रवेश देण्याची क्षमता ओलांडली गेली तर ते जिल्हा (परीक्षा) केंद्र निवडलेल्या उमेदवारांची बैठक व्यवस्था जवळच्या दुसऱ्या जिल्हा केंद्रावर करण्यात येईल.

(चार) एकदा निवडलेल्या जिल्हा केंद्रामध्ये अथवा टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड(T.C.S.) ने निश्चित केलेल्या परीक्षा उपकेंद्रामध्ये बदल करण्याची विनंती कोणत्याही कारणास्तव मान्य करण्यात येणार नाही.

(पाच) वरीलप्रमाणे जिल्हा केंद्रनिवडीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास उमेदवाराने अर्जामध्ये दिलेल्या कायमस्वरूपी रहिवासाच्या पत्त्याच्या आधारे संबंधित महसुली मुख्यालयाच्या जिल्हाकेंद्रावर किंवा नजिकच्या जिल्हाकेंद्रावर प्रवेश देण्यात येईल. याबाबत शासनाचे त्या त्या वेळचे धोरण व निर्णय अंतिम मानण्यात येईल.

१२.५ अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया / कालावधी :-

| अ.क्र. | तपशील   | दिनांक   |
|--------|---|--|
| १      | अर्ज सादर करण्याचा कालावधी                                | दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२३ ते दिनांक ०१ डिसेंबर, २०२३ रोजी १७.०० वाजेपर्यंत   |
| २      | ऑनलाईन पध्दतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक | दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२३ ते दिनांक ०१ डिसेंबर, २०२३ रोजी १७.०० वाजेपर्यंत   |
| ३      | संकेतस्थळ   | <a href="https://stateexcise.maharashtra.gov.in">https://stateexcise.maharashtra.gov.in</a> या संकेतस्थळावर वेळोवेळी माहिती मिळेल. |

## १२.६ परीक्षा शुल्क (रुपये):-

| अ.क्र. | पदनाम                         | अराखीव (खुला) | राखीव प्रवर्गासाठी |
|--------|-------------------------------|---------------|--------------------|
| १      | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) (गट -क) | ९००           | ८१०                |
| २      | लघुटंकलेखक (गट -क)            | ९००           | ८१०                |
| ३      | जवान (गट -क)                  | ७३५           | ६६०                |
| ४      | जवान-नि- वाहनलचाक (गट क)      | ८००           | ७२०                |
| ५      | चपराशी (गट -ड)                | ८००           | ७२०                |

(एक) उपरोक्त परीक्षा शुल्काव्यतिरिक्त बँक चार्जेस तसेच त्यावरील देय कर अतिरिक्त असतील.

(दोन) परीक्षा शुल्क ना-परतावा (Non-refundable) आहे.

(तीन) अर्ज भरताना एखादा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित झाल्यास किंवा तशी परिस्थिती उद्भवल्यास उमेदवारांनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड (T.C.S.) च्या मोबाईल क्रमांक ७३५३९२६६६३ वर संपर्क साधावा.

(चार) परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वी न झाल्यास पुन्हा शुल्क भरण्याची कार्यवाही प्रस्तुत जाहिरातीच्या अनुषंगाने विहित दिनांक/विहित वेळेपूर्वीच करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही कारणास्तव व्यवहार अयशस्वी ठरल्यास यासंदर्भातील तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही. विहित मुदतीत परीक्षा शुल्काचा भरणा करू न शकलेल्या उमेदवारांचा संबंधित भरतीप्रक्रियेकरीता विचार केला जाणार नाही.

## १३. सेवाप्रवेशोत्तर शर्ती :-

१३.१ नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस खालील अर्हता/ परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहिल.

(एक) जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागीय /व्यावसायिक परीक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार विभागीय /व्यावसायिक परीक्षा.

(दोन) हिंदी आणि मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्ती अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तिला उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर ती परीक्षा

(तीन) शासन निर्णय, माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि) क्रमांक : मातंसं-२०१२/ प्र.क्र. २७७/ ३९, दि.०४ फेब्रुवारी, २०१३, शासन पूरकपत्र, क्रमांक मातंसं २०१२/ प्र.क्र.२७७/ ३९, दि.०८ जानेवारी, २०१८ व दि.१६ जुलै, २०२१ अथवा महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने या संदर्भात वेळोवेळी विहित केलेली संगणक हाताळणीबाबतची प्रमाणपत्र परीक्षा.

(चार) लघुलेखक (निम्नश्रेणी), लघुटंकलेखक पदावर नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या मराठी लघुलेखन/ मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत) नियमावली , १९९१ अथवा त्यानंतर शासनाकडून वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणानुसार एतदर्थ मंडळाची विहित गतीची मराठी लघुलेखन/ मराठी टंकलेखनाची परीक्षा विहित कालावधीत उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.

(पाच) पदाची विशिष्ट —कर्तव्ये व जबाबदारी लक्षात घेऊन शारिरीक व तदनुषंगिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण होणे बंधनकारक राहिल.

१३.२ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक — परिवी-२७१४/ प्र.क्र.३०२/ कार्या-८, दि.२२ जून, २०२१ अन्वये परिविक्षाधीन कालावधीबाबत विहित कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल.

१४. शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रके, आदेश इत्यादी तसेच आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, परिपत्रके इत्यादी बंधनकारक असतील.

ठिकाण :- मुंबई

दिनांक :- नोव्हेंबर, २०२३

आयुक्त,  
राज्य उत्पादन शुल्क,  
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई